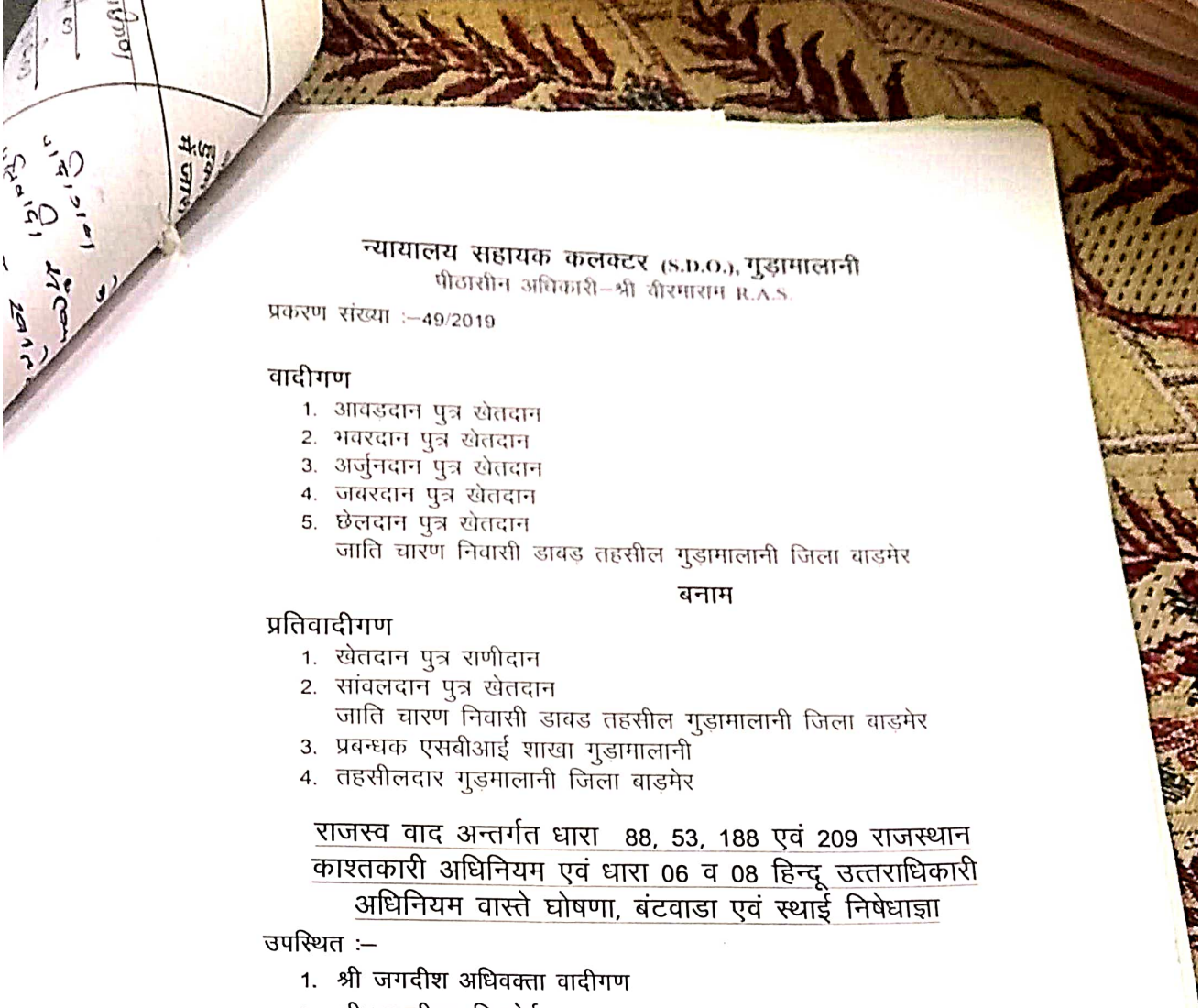

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम R.A.S.

प्रकरण संख्या :–49/2019

वादीगण

1. आवड़दान पुत्र खेतदान
2. भवरदान पुत्र खेतदान
3. अर्जुनदान पुत्र खेतदान
4. जबरदान पुत्र खेतदान
5. छेलदान पुत्र खेतदान
   जाति चारण निवासी डाबड़ तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. खेतदान पुत्र राणीदान
2. सांवलदान पुत्र खेतदान
   जाति चारण निवासी डावड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. प्रबन्धक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़मालानी जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 06 व 08 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. **श्री जगदीश अधिवक्ता वादीगण**
2. **श्री रामजीवन विश्नोई**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05/03/21

वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 06 व 08 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दु विधि से शासित होते है।

ग्राम डाबड के खेत मूल खसरा नम्बर 1211 रकबा 101–00 बीघा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है, उक्त खेत वादीगण के पूर्वज दादा मुतवफी राणीदान के [illegible] और उक्त खेत पर रानीदान का ही अनवरत रूप से कब्जा काश्त [illegible] और [illegible]दान के फौतगी पर वादीगण के पिता खेतदान व [illegible] के नाम दर्ज हुआ और वर्तमान में भूमि का पुश्तैनी कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा होने से खेतदान के [illegible] नम्बर 1211, 1211/1 रकबा क्रमशः 30–01, 15–02 बीघा के आये हुए हैं। उक्त खसरों की भूमि वादीगण के पूर्वज राणीदान के समय की पैतृक एवं सुयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:15:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी
05/3/21

हिन्दू परिवार के सहदायिक की है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 प्रतिवादी संख्या 01 के आत्मज सन्तान है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 के साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हक हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा-काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का खाते में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपने हिस्से की घोषणा करवाना चाहते है। उक्त वादग्रस्त खेती में वादी अपने हिस्सानुसार कब्जे काश्त में है फिर भी प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को काश्त करते समय रूकावट करता है। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को बेचान कर वादीगण को बेदखल करने पर आमदा है। जिससे वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की हिस्सेदारी घोषित करवाने हेतु वादपत्र पेश किया गया।

वादपत्र दिनांक 20.05.2019 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने जाने से प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब का अवसर बन्द किया। प्रतिवादी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 02 को भी प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सह खातेदार घोषित किया जावे।

वादीगण की साक्ष्य में वादीगण संख्या 1 आवडदान, वादीगण संख्या 4 जबरदान एवं पाड़ौसी गवाह शक्तिदान पुत्र रिड़मलदान को न्यायालय में उपस्थित कर सशपथ बयान कलमबद्ध करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त आराजी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् ..नकल जारी दिनांक 15.04.2019 प्रदर्श-01, नजरी नक्शा प्रदर्श-2, नामान्तरण संख्या 567/19.06. 2018 प्रदर्श-3, नामान्तरकरण संख्या 341/22.03.69 प्रदर्श-4, पहचान पत्र प्रदर्श-4 की नकलें प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाई गईं। तथा दौराने बहस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धारा 53 रा०का०अधिनियम को विड्राल कर प्रतिवादी संख्या 01 के साथ [illegible] निवेदन किया। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:15:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौखिक व लिखित साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पैतृक सम्पति में प्रथम श्रेणी के वारिसान को अपने हिस्से की कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं राजस्व मण्डल द्वारा पारित अधिनिर्णयों में यही मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 08.01.2007 द्वारा यह निर्देशित किया गया है "कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनो को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल मे ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री सहकृषक होते है चाहे राजस्व रेकर्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री दोनो अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोतों का विभाजन कराया जा सकता है।"

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा डाबड पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 1211 रकबा 30–01 वीघा एवं खसरा नम्बर 1211/1 रकबा 15–02 बीघा की भूमि में वादीगण संख्या 01 ता 05 व प्रतिवादी संख्या 02 को प्रतिवादी संख्या 1 खेतदान के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियां अमलदरामद करने का आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय समाप्त होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/3/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:15:34 IST
Reason: SelfAttested

05/3/21

(वीरमाराम)

सहायक कलक्टर, (SDO) गुड़ामालानी